

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2019/ 2457

दिनांक 16-12-2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 121/19

तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2608 दिनांक 2-12-2019 के संलग्न प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरौही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। *As Approve*

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर  
(उपखसिरौही अधिकारी)  
सिरौही (राज०)

T.S. नं. 3  
एन.ए. 108

सेवामें

श्रीमान तहसीलदार साहब  
सिरोही

ता 15-10-2019



विषय: - मेरी खातेवाली नदि हिले की शुद्ध करने का वस

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मौजा - मंडवाड़ा  
में मेरी पुरानी खातेवाली ग्राम - मंडवाड़ा में

आई डूई है जिसके वर्तमान खाता नं 343 है तथा खसरा नंबर  
393 है। इस जमाबंदी में सेगीगेशन जमाबंदी अपडेट होने से  
पूर्व मेरे अलीज रमेश पुत्र ताराजी, मेरी माताजी स्व. मीरो  
पत्नी स्व. हीरा तथा मेरा स्वयं का नाम नारायण लाल पुत्र  
हीराजी सहित संयुक्त खातेधारियों के नाम थे तथा उसमें  
मेरा, मेरी माताजी व मेरे अलीज लीनों का हिस्सा बराबर था  
परंतु सेगीगेशन जमाबंदी अपडेट करते समय लकीमी अब  
से हमारे हिस्से गलत दर्ज हो गए। मेरे अलीज रमेश हि. 1/12  
तथा मेरा व मेरी माताजी मीरो पत्नी हीरा का हि. 1/24-1/24  
दर्ज किया गया है जो कि सही नहीं है क्योंकि हमारे लीनों के हिस्से  
निचमांडसार बराबर होने चाहिए। अतः श्रीमानजी से निवेदन  
है कि आप हमारे हिस्से की शुद्ध करने का आदेश करवायें। ताकि  
हमें हमारा वास्तविक हक मिल सके।

LR  
15/10/19  
पञ्चमरी पांचमरी  
16.10.19

नारायण लाल हीराजी  
15-10-2019

राजस्थान सरकार  
आर्यानय तहसीलदार (भू.अ.) सिरोही

क्रमांक 1200/2019/2128 दिनांक 16/10/19

मूल ही पञ्चमरी हकका 353 को मेजक लेख है कि  
पञ्चमरी के पञ्चमरी पत्र की पुराने एवं नये रेकॉर्ड के जॉन के  
जॉन रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए पत्रों को

तहसीलदार (भू.अ.) सिरोही

LOR  
12/12/19

मूल ही श्रीमान जी लौटाकर निवेदन है कि आपके आदेश की पालना में मौजा 343 के खता फं 343 के तह व पुराने रेकॉर्ड के मिलान दिखा गया वक्त मिलान पाया गया कि उक्त खति में शायी के पिता वीराजी 1/6 दिखता है। जिसमें वीराजी के तीन वारिसदार हैं - श्रीरो (पत्नी) तथा नारायण व लारा (पुत्र) इनमें लाराजी की मृत्यु हो चुकी है जिन्हीं जगह उनके पुत्र श्वेश का नाम दर्ज है।

इस आलेखी में नियमानुसार दिखने इस प्रकार होने पाएँ।

- (1) श्रीरो पत्नी वीरा 1/8
- (2) श्वेश पुत्र लाराजी 1/8
- (3) नारायण पुत्र वीरा 1/8

परंतु भेरीगेशन अत्राबंधी में ये दिखने गलत दर्ज हो गए जो इस प्रकार है।

- (1) श्रीरो पत्नी वीरा 1/24
- (2) नारायण पुत्र वीरा 1/24
- (3) श्वेश पुत्र लाराजी 1/12

अतः इनकी दिखेदारी में शुद्धीकरण किया जाना उचित है। उचित कार्यवाही हेतु पालना रिपोर्ट पेश है।

दिनांक 8/11/19  
पटवारी (मू. अं.)  
पटवार माल - 343  
तह. व मिल - तपोही (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (मू. अं.) सिरोंही  
क्रमांक/2019/2608 दिनांक 02/11/19

मूल ही श्रीमान उपलब्ध कोषिकारी करीदर, सिरोंही को पेश कर निवेदन है कि पटवारी तहसील 343 की रिपोर्ट अनुसार उल्लिखित श्राद्ध पत्र अनुसार दिखने प्रकार होने पाएँ। अतः वांछित दिखता दुकान की कार्यवाही हेतु उपरोक्त उल्लिखित संलग्न सादर पेश है।

L.R

14/11/19  
1769  
15/11/19  
1736  
12/12/19

तहसीलदार (मू. अं.) सिरोंही

